संख्या-67/2021/I/66496/2021/File No.65-2099/27/2020-2

प्रेषक,

डॉ0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 मई, 2021

विषय:- विभागीय स्तरों पर सभी जनपदों/मण्डल/मुख्यालय स्तर पर सी0यू0जी0 की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1562/दि0ज0वि0/यो0/2020-21 दिनांक 21.07.2020, जिसके द्वारा विभागीय स्तर पर प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों एवं 18 मण्डल मुख्यालयों के समस्त मण्डलीय उपनिदेशकों तथा मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण हेतु परस्पर समन्वय/सम्पर्क स्थापित करने के लिये 01-01 सी.यू.जी. कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के प्रदेश के 75 जनपदों के समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारियों, 18 मण्डल मुख्यालयों के मण्डलीय उपनिदेशकों तथा मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण हेतु परस्पर समन्वय/सम्पर्क स्थापित करने के लिये 01-01 सी.यू.जी. कनेक्शन की सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है।

3. उक्त सुविधा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) . सी.यू.जी. कनेक्शन की सुविधा हेतु सेवा प्रदाता कम्पनी के साथ सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत एम0ओ0यू0 आदि कराकर अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

(2). सी.यू.जी. कनेक्शन की सुविधा विभागीय कार्यवाहियों में प्रगति लाने एवं दिव्यांगजन की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से प्रदान की जा रही है।

(3). उक्त सी.यू.जी. सुविधा में मात्र सिमकार्ड ही देय होगा।

(4). अधिकारियों को प्रतिमाह प्रदान होने वाली सी.यू.जी. सुविधा सुसंगत प्रचलित नियमों के अधीन होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।
http://shasanadesh.up.nic.in

(5). सी.यू.जी. कनेक्शन पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-79 के लेखाशीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-03-मुख्यालय/मण्डलीय/जिला कार्यालयों का अधिष्ठान-13-टेलीफोन पर व्यय मद से सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-4-340/दस-2021 दिनांक- 20 मई, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,
डॉ0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

संख्या/दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी-प्रथम/आडिट-प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
6. समस्त जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/नियोजन अनुभाग-3।
8. दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1/3 ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 पूजा पाण्डेय,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।